प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 19 मई, 2014

विषय- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पीठ (तृतीय) के भवन निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3081/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./ ब0अनु0 /14-15, दिनॉक 11 नवम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अतिरिक्त पीठ के भवन निर्माण हेतु रू0 321.81 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-62/84-1-2011-04 विविध(बजट)/2009, दिनॉक 23-2-2011 द्वारा रू0 100.00 लाख (एक करोड रूपये) मात्र तथा शासनादेश संख्या-803/84-1-12-04 विविध(बजट)/2009, दिनॉक 28 अगस्त, 2011 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 2,21,81,000.00 (दो करोड इक्कीस लाख इक्यासी हजार रूपये) मात्र की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। राज्य आयोग ने अपने पत्र संख्या-5034/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./ब0अनु0/13-14, दिनॉक 22 मार्च, 2013 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 4,21,69,000.00 स्वीकृत करते हुए अवशेष धनराशि रू0 99,88,000.00 (निन्यानवे लाख अट्ठासी हजार रूपये) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त आहरित की जाने वाली धनराशि सुसंगत नियमों एवं जिस मद में स्वीकृत की गई है, के अधीन ही व्यय की जायेगी। उक्त भवन निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से प्रतिमाह शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/राज्य आयोग का होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न करते हुए कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

(4) शासनादेश दिनॉक 23 फरवरी, 2011 की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेगीं।

(5) भविष्य में प्रश्नगत कार्य हेतु पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा तथा यह कार्य 30 सितम्बर, 2014 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-60-अन्य भवन-051-निर्माण-04-राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-790/दस-2014, दिनॉक 15-5-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-95/1190(1)/84-1-13-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
9- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2/खाद्य तथा रसद अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in